>

Title: Need to ensure speedy trial of persons apprehended on terrorist charges.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): आतंकवाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती है । देश के लगभग हर कोने में आतंकवाद की घटना घटित हुई है । हर बार घटित घटना अपने साथ सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले जाती है और फिर सिलसिला शुरू होता है, एक लंबी जांच का । जांच में अक्सर निर्दोष लोगों को शक के कारण गिरफ्तार किया जाता है, जिससे उस पर जिन्दगी भर का आतंकवादी होने का कलंक जुड़ जाता है । जांच के बाद मुकदमा न्यायालय में चलता है जिसमें वर्षों फैसला होने में लग जाता है कि वह वास्तव में आतंकवादी घटना में शामिल था या नहीं, जमानत नहीं होती है । अतः सालो साल बेगुनाह साबित होने तक जेल में ही जिन्दगी कट जाती है । बेगुनाह साबित हो भी जाए तो भी व्यक्ति अपनी सामान्य जिन्दगी नहीं जी पाता, ना ही उसे नौकरी मिलती है ।

मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि ऐसे मामलों की जांच केवल एन.आई.ए. से कराई जानी चाहिए तथा स्पेशल कोर्ट के माध्यम से यह पाबन्दी भी लगाई जाए कि ऐसे मामलों का तीन महीने के अंदर फैसला जरूर लिया जाएगा वरना ऐसे मामलों से जुड़े लोगों को निर्दोष माना जाएगा ।